

पत्रांक-15/बि0स0से0-03-02/2018 सा0प्र0...457.../

बिहार सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

सिद्धेश्वर चौधरी,  
सरकार के अवर सचिव।

सेवा में,

अति आवश्यक

प्रमण्डलीय आयुक्त,  
मगध प्रमंडल, गया/कोशी प्रमंडल, सहरसा।  
सचिव,  
बिहार राज्य खाद्य आयोग, पटना

पटना-15, दिनांक-10.1.2019

विषय:- स्थानांतरित सहायकों को विरमित करने के संबंध में।

प्रसंग- सामान्य प्रशासन विभाग का कार्यालय आदेश संख्या-536 दिनांक-20.12.2018  
महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि प्रासंगिक विभागीय आदेश द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग के नियंत्रणाधीन बिहार सचिवालय सेवा का स्थानांतरण/पदस्थापन किया गया है। उक्त आदेश से स्थानांतरित कतिपय सहायकों के द्वारा विरमित होकर नव पदस्थापन के विभाग/कार्यालय में योगदान नहीं किया गया है। इससे विभागों/कार्यालयों के कार्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।

अतः अनुरोध है कि अपने अधीनस्थ स्थानांतरित सहायकों को दिनांक-15.01.2019 तक निश्चित रूप से विरमित किया जाना सुनिश्चित किया जाय। दिनांक-15.01.2019 तक विरमित नहीं किये जाने की स्थिति में इन स्थानांतरित सहायकों को दिनांक-16.01.2019 के अपराहन से स्वतः विरमित समझा जायेगा।

विश्वासभाजन

(सिद्धेश्वर चौधरी)

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक-15/बि0स0से0-03-02/2018 सा0प्र0...457.../दिनांक-10.1.2019

प्रतिलिपि- प्रधान सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग/अवर सचिव, प्रभारी प्रशाखा-15, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक-15/बि0स0से0-03-02/2018 सा0प्र0...457.../दिनांक-10.1.2019

प्रतिलिपि- श्री रणधीर कुमार, सहायक, आयुक्त कार्यालय, मगध प्रमंडल, गया/श्री रितेश कुमार, सहायक, कोशी प्रमंडल, सहरसा एवं श्री दिलीप कुमार चौधरी, सहायक, बिहार राज्य खाद्य आयोग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2) उक्त स्थानांतरित सहायक निदेशित है कि दिनांक 15.01.2019 तक संबंधितविभाग/कार्यालय द्वारा विरमित नहीं किये जाने की स्थिति में दिनांक 16.01.2019 के अपराहन से स्वतः विरमित होकर स्थानांतरित विभाग/कार्यालय में योगदान सुनिश्चित करें।

सरकार के अवर सचिव।